



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22112025-267917
CG-MH-E-22112025-267917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 756]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 756]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 21 नवम्बर, 2025

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम)

(चौथा संशोधन) विनियम, 2025

फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/276.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे।

3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,

I. विनियम 23 में,

(1) उप-विनियम (1) में,

- i. खंड (ख) में, शब्द “और” हट जाएगा;
- ii. खंड (ग) में, चिह्न “:” के स्थान पर चिह्न तथा शब्द “; और” आ जाएँगे;
- iii. खंड (ग) के बाद, चिह्न, अक्षर तथा शब्द “(घ) कार्यकारी निदेशक (कार्यपालक निदेशक):” जोड़े जाएँगे।

- (2) उप-विनियम (4) में, शब्दों तथा चिह्न “प्रबंध निदेशक को गैर-स्वतंत्र निदेशकों के वर्ग में शामिल किया जाएगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) और कार्यकारी निदेशकों (कार्यपालक निदेशकों) को उन निदेशकों की श्रेणी (के वर्ग) में शामिल किया जाएगा, जो स्वतंत्र निदेशक न हों (जो गैर-स्वतंत्र निदेशक हों)” आ जाएँगे और इसके परंतुक में, शब्दों तथा चिह्न “को गैर-स्वतंत्र निदेशकों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “और कार्यकारी निदेशकों (कार्यपालक निदेशकों) को उन निदेशकों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा, जो स्वतंत्र निदेशक न हों (जो गैर-स्वतंत्र निदेशक हों)” आ जाएँगे;

II. विनियम 25 में,

- (1) शीर्षक में, शब्दों “प्रबंध निदेशक की नियुक्ति” के बाद चिह्न तथा शब्द “, उसकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ” जोड़े जाएँगे;

- (2) उप-विनियम (4) में, खंड (ग) में, पहले परंतुक के बाद निम्नलिखित दूसरा परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“परंतु यह और कि प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) को, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लियरिंग कारपोरेशन (समाशोधन निगम) के गवर्निंग बोर्ड (संचालन मंडल / शासी मंडल) की पूर्व-मंजूरी से:

- क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत रजिस्टर किसी कंपनी के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डाइरेक्टर) के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;
- ख) किसी असूचीगत (अनलिस्टिड) सरकारी कंपनी (जो कोई कारोबारी गतिविधि न कर रही हो) के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डाइरेक्टर) के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;
- ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी सरकारी कंपनी या किसी सांविधिक निकाय (स्टैट्यूटरी बॉडी) द्वारा बनाई गई किसी शैक्षणिक संस्था के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य (जो गैर-कार्यकारी हो) के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा; या
- घ) केन्द्रीय सरकार के किसी अधिनियम या राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत बनाए गए किसी विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य (जो गैर-कार्यकारी हो) के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।”

- (3) उप-विनियम (7) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

“(8) प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ भी शामिल होंगी:

- क) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन के समस्त कामकाज देखना;
- ख) यह सुनिश्चित करना कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन समस्त लागू अधिनियमों, नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों का और उनके तहत समय-समय पर जारी किए जाने वाले परिपत्रों (सर्कुलर), दिशानिर्देशों या निदेशों का पालन करे;
- ग) यह सुनिश्चित करना कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन की शाखा-1 और शाखा-2 के तहत किए जाने वाले कार्य (जिनका जिक्र इन विनियमों की अनुसूची-II के भाग-ग में किया गया है) प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में और जनहित में किए जाएँ, और जो आमदनी करने के उद्देश्य से न किए जाएँ;
- घ) वह मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन के समग्र रूप से जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट) के लिए जिम्मेदार रहेगा; और
- ङ) यह सुनिश्चित करना कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन के पास इतनी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ और व्यवस्थाएँ हों (इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर हो) कि उसका कामकाज हमेशा कारगर ढंग से चलता रहे।"

III. विनियम 25 के बाद और विनियम 26 से पहले निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति

25क. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन प्रबंध मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजमेंट पर्सोनेल) के रूप में दो कार्यकारी निदेशकों को नियुक्त करेगा जो क्रमशः शाखा-1 और शाखा-2 के प्रमुख होंगे, और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन (यदि चाहे तो) किसी कार्यकारी निदेशक को शाखा-3 के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची-II के भाग-ग में जिक्र किया गया है।

(2) कार्यकारी निदेशकों का ओहदा प्रबंध निदेशक के ओहदे जैसा ही होगा।

(3) कार्यकारी निदेशकों को नियुक्त करने, उनकी नियुक्ति की अवधि बढ़ाने और उन्हें सेवा से हटाए जाने के मामले में वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो प्रबंध निदेशक के मामले में अपनाई जाती है [जिसका जिक्र इन विनियमों के विनियम 25 के उप-विनियम (1), उप-विनियम (2), उप-विनियम (4) के खंड (क) एवं खंड (ख), उप-विनियम (5) और उप-विनियम (6) में किया गया है], लेकिन इसके लिए बोर्ड से पहले ही मंजूरी लेनी होगी।

(4) कार्यकारी निदेशकों का कार्यकाल उतनी अवधि का होगा और उनकी अधिकतम आयु उतनी होगी, जितनी अवधि तथा आयु का जिक्र इन विनियमों के विनियम 25 के उप-विनियम (3) में प्रबंध निदेशक के लिए किया गया है।

(5) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन का कार्यकारी निदेशक किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड में अपनी सेवाएँ नहीं देगा:

परंतु यह कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन के कार्यकारी निदेशक को, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन के गवर्निंग बोर्ड की पूर्व-मंजूरी से, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन की सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) के बोर्ड में नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) शाखा-1 और शाखा-2 के कार्यकारी निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ भी शामिल होंगी:

- क) अपनी-अपनी शाखाओं से जुड़े समस्त कामकाज देखना;
- ख) यह सुनिश्चित करना कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन में अपनी-अपनी शाखाओं के तहत किए जाने वाले कार्य प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में और जनहित में किए जाएँ, और जो आमदनी करने के उद्देश्य से न किए जाएँ;
- ग) शाखा-1 के कार्यकारी निदेशक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि इतनी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ और व्यवस्थाएँ हों (इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर हो) कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन का कामकाज कारगर ढंग से चलता रहे; और
- घ) शाखा-2 का कार्यकारी निदेशक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन के समग्र रूप से जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट) के लिए जिम्मेदार रहेगा।

IV. विनियम 30क के बाद और विनियम 31 से पहले निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“मुख्य तकनीक अधिकारी (चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर) की नियुक्ति, उसकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ

30ख. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन एक मुख्य तकनीक अधिकारी (चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर) नियुक्त करेगा, जो तकनीक से जुड़े पहलुओं, सिस्टम डिज़ाइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और कार्य-प्रक्रिया से जुड़े कामकाज देखने और उन पर नज़र रखने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

(2) मुख्य तकनीक अधिकारी (चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ भी शामिल होंगी:

- (क) आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी) से जुड़े सभी कार्यों के संबंध में जोखिमों से निपटने के सिलसिले में कदम उठाना;
- (ख) आई.टी. के संबंध में नीति निर्धारित करना और आई.टी. से जुड़े कार्यों के संबंध में जोखिमों से निपटने हेतु एक व्यवस्था निर्धारित करना; और
- (ग) टेक्नोलॉजी ऑडिट करने के बाद की गई टिप्पणियों के अनुसार कमियों को दूर करना और व्यवस्था को दुरुस्त करना।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्क्यूरिटी ऑफिसर) की नियुक्ति, उसकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ

30ग. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन (समाशोधन निगम) एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन की कार्यप्रणाली के मद्देनज़र साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का आकलन करने, उनकी पहचान करने और उन्हें कम करने तथा साइबर हमलों आदि से निपटने के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ भी शामिल होंगी:

- (क) उपयुक्त मानदंड निर्धारित करना और नियंत्रण लगाना;
- (ख) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त क्लियरिंग कारपोरेशन के गवर्निंग बोर्ड द्वारा साइबर सुरक्षा और साइबर हमलों से निपटने के संबंध में मंजूर की गई नीति के अनुसार प्रक्रियाएँ निर्धारित करने और उन्हें अमल में लाने का निदेश देना; और
- (ग) साइबर सुरक्षा की दिशा में कदम उठाना, जिसमें सूचना (इन्फॉर्मेशन) को सुरक्षित रखने के संबंध में नीतियाँ निर्धारित करना, उनकी समीक्षा करना और उन्हें अमल में लाना शामिल है।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./492/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, द्वारा 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् –
 - (क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा
 - (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (ग) 8 अक्तूबर, 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/32, द्वारा
 - (घ) 23 मार्च, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा
 - (ङ) 13 अगस्त, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44, द्वारा
 - (च) 12 अगस्त, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/93, द्वारा
 - (छ) 15 नवम्बर, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/104, द्वारा
 - (ज) 28 फरवरी, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/124, द्वारा
 - (झ) 24 जुलाई, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/139, द्वारा
 - (ञ) 22 अगस्त, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/148, द्वारा

- (ट) 26 अप्रैल, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/171, द्वारा
- (ठ) 10 मई, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/174, द्वारा
- (ड) 29 जुलाई, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/196, द्वारा
- (ढ) 29 अगस्त, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/202, द्वारा
- (ण) 10 फरवरी, 2025 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/227, द्वारा
- (त) 21 मार्च, 2025 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/238, द्वारा
- (थ) 30 अप्रैल, 2025 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/246, द्वारा
- संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st November, 2025

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/276.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely, —

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Fourth Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018,
 - I. in regulation 23,
 - (1) in sub-regulation (1),
 - i. in clause (b), the word and symbol “and,” shall be omitted;
 - ii. in clause (c), the symbol “:” shall be substituted with the word and symbols “; and,”;
 - iii. after clause (c), the words and symbols “(d) executive directors:” shall be inserted.
 - (2) in sub-regulation (4) and proviso thereto, after the words “managing director” and before the word “shall”, the words “and executive directors” shall be inserted;
 - II in regulation 25,
 - (1) in the title, after the word “Appointment” and before the words “of managing director”, the words and symbol “, role and responsibilities” shall be inserted;

- (2) in clause (c) of sub-regulation (4), after first proviso, the following second proviso shall be inserted, namely, -

“Provided further that the managing director may, with the prior approval of the governing board of the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation, be appointed as:

- a) non-executive director on the board of a company registered under Section 8 of the Companies Act, 2013;
- b) non-executive director on the board of an unlisted government company not engaged in any commercial activity;
- c) chairperson or member (non-executive capacity) of the governing board of an educational institution established by the Central Government, the State Government, a government company, or a statutory body, or
- d) chairperson or member (non-executive capacity) of the governing board of a university established or incorporated by or under a Central Act or a State Act.”

- (3) after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted namely, -

“(8) The roles and responsibilities of the managing director shall include the following:

- a) management of the whole of the affairs of the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation;
- b) ensure that the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation complies with the provisions of all applicable acts, rules and regulations, circulars, guidelines or directions issued thereunder from time to time;
- c) ensure that the functions under Vertical 1 and Vertical 2 of the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation, as provided in Part C of Schedule II of these regulations, are performed in the interest of the securities market and are guided by public interest, without having any revenue-oriented objectives.
- d) be responsible for the overall risk management of the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation; and
- e) ensure that the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation has adequate infrastructure and systems in place for its efficient functioning at all points of time.”

- III after regulation 25 and before regulation 26, the following regulation shall be inserted namely, -

“Appointment of executive director

- 25A.** (1) Every recognised stock exchange and recognised clearing corporation shall appoint two executive directors as key management personnel who shall head Vertical 1 and Vertical 2 respectively and the recognised stock exchange or recognised clearing corporation may, at its discretion appoint an executive director to head Vertical 3, as referred to in Part C of Schedule II of these regulations.

- (2) The stature of executive directors shall be similar to that of the managing director.

- (3) The process of appointment, renewal of appointment and termination of services of the executive directors shall be similar to that of the managing director as referred to in sub-regulations (1), (2), clauses (a) and (b) of (4), (5) and (6) of Regulation 25 of these regulations and subject to prior approval of the Board.

- (4) The tenure and maximum age limit of the executive directors shall be similar to that of the managing director as referred to in sub-regulation (3) of Regulation 25 of these regulations.

- (5) The executive director of a recognised stock exchange or a recognised clearing corporation shall not serve on the board of any other company:

Provided that the executive director of a recognised stock exchange or a recognised clearing corporation may, with the prior approval of the governing board of the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation, be appointed on the board of a subsidiary of a recognised stock exchange or a recognised clearing corporation.

- (6) The roles and responsibilities of executive directors of Vertical 1 and Vertical 2 shall include the following:

- a) management of whole of the affairs of their respective verticals;
- b) ensure that the functions under their respective verticals of the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation are operating in the interest of the securities market and are guided by public interest, without having any revenue oriented objectives;
- c) the executive director of Vertical 1 shall be responsible to ensure that adequate infrastructure and systems are in place for efficient functioning of the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation; and
- d) the executive director of Vertical 2 shall be responsible for the overall risk management of the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation.”

IV after regulation 30A and before regulation 31, the following regulations shall be inserted, namely, -

“Appointment, role and responsibilities of chief technology officer

30B. (1) Every recognised stock exchange or recognised clearing corporation shall appoint a chief technology officer to oversee and manage technology-related system design, infrastructure, and operations.

(2) The role and responsibilities of the chief technology officer shall include the following:

- (a) manage risks in all information technology related functions;
- (b) formulate the information technology policy and the information technology risk management framework; and
- (c) resolution and mitigation of observations arising from technology audits.”

“Appointment, role and responsibilities of chief information security officer

30C. (1) Every recognised stock exchange or recognised clearing corporation shall appoint a chief information security officer to assess, identify, and mitigate cybersecurity risks associated with the functioning of recognised stock exchange or the recognised clearing corporation and respond to cybersecurity incidents.

(2) The role and responsibilities of the chief information security officer shall include the following:

- (a) establish appropriate standards and controls;
- (b) direct the establishment and implementation of processes and procedures as per the cybersecurity and cyber resilience policy approved by the governing board of the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation; and
- (c) cyber security initiatives including planning, developing, maintaining, reviewing and implementation of Information Security Policies.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./492/2025-26]

Footnote:

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.
2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on—
 - (a) 4th June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.
 - (b) 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (c) 8th October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.
 - (d) 23rd March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.

- (e) 13th August, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.
- (f) 12th August 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/93.
- (g) 15th November, 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/104.
- (h) 28th February, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/124.
- (i) 24th July, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/139.
- (j) 22nd August, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/148.
- (k) 26th April, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/171.
- (l) 10th May, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/174.
- (m) 29th July, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/196.
- (n) 29th August, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Fourth Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/202.
- (o) 10th February, 2025, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/227.
- (p) 21st March, 2025, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/238.
- (q) 30th April, 2025, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/246.